न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़
(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 20/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/83
हिमांशु सोनी, रत्न ज्वैलर्स नई मण्डी घड़साना

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 09.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एसपीआईओ/आरटीआई/2024/60 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का आवेदन निरस्त कर ऑनलाईन आर.टीआई. पोर्टल के पत्रांक 4067939864 दिनांक 07.02.2024 द्वारा जवाब अपलोड कर दिया गया हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं देने आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल पर आवेदन निरस्त कर अपलोड की गयी सूचना दिनांक 07.02.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विनिश्चय पारित करते हुए आवेदक/अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:24:02 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)